रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31012026-269715
CG-TL-E-31012026-269715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947
No. 393] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 421(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के बापट्ला जिले में बापट्ला गाँव और मंडल में विजयवाड़ा – ओंगोल सेक्शन में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – बापट्ला टीएसएस का निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, बापट्ला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, बापट्ला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों

को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : आंध्र प्रदेश राज्य के बापट्ला जिले में बापट्ला गाँव और मंडल में विजयवाड़ा – ओंगोल सेक्शन में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – बापट्ला टीएसएस का निर्माण कार्य हेतु.

क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	आवश्यकता के प्रस्ताव के अनुसार सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार (सरकारी/ निजी, आदि)	भूमि की प्रकृति (आर्द्र/ शुष्क)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ में)	अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग मी. में)	पट्टेदार/ एंजॉयर का नाम
1	बापट्ला	वेस्ट बापट्ला	363-1बी	निजी भूमि	शुष्क	1.78	0.720	7203.404	मुक्ति सेनादल
2	बापट्ला	वेस्ट बापट्ला	372-1बी	सरकारी हस्तांतरण भूमि	शुष्क	0.73	0.295	2954.205	मुक्ति सेनादल
कुल						2.51	1.015	10157.609	

[फा.सं. W.Con/182/SRP/TSS/Bapatla/20A]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAY

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 29th January, 2026

S.O. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Bapatla TSS in Vijayawada-Ongole section in Bapatla Village & Mandal in Bapatla District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Revenue Divisional Officer, Bapatla in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Bapatla shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after

hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: For Up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25Kv to 2x25Kv traction system to meet 3000 MT loading target– Construction of Bapatla TSS in Vijayawada-Ongole section in Bapatla Village & Mandal in Bapatla District in

S.No	Name of the Mandal	Name of the village	Sy.No.as per the requisition proposals	Type of land (Govt/ Pvt,etc)	Nature of land (Wet/ Dry)	Tentative Area (Acres)	Tentative Area (Hectares)	Tentative Area (Sq.Mts)	Name of the Pattadar/ Enjoyer
1	Bapatla	West Bapatla	363-1B	Pvt.Land	Dry	1.78	0.720	7203.404	Salvation Army
2	Bapatla	West Bapatla	372-1B	Govt. Alienation Land	Dry	0.73	0.295	2954.205	Salvation Army
Total						2.51	1.015	10157.609	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/Bapatla/20A]
K.SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.31 21:05:39 +05'30'